प्रगत संगणन विकास केन्द्र (सी-डैक)
Centre for Development of Advanced Computing

संस्था का ज्ञापन-पत्र
Memorandum of Association

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग,
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय,
भारत सरकार की स्वायत्त वैज्ञानिक संस्था

प्रगत संगणन विकास केन्द्र

संस्था का ज्ञापन-पत्र

1. इस संस्था का नाम 'प्रगत संगणन विकास केन्द्र' (संक्षिप्त रूप: सी डैक) (Centre for Development of Advanced Computing) होगा तथा आगे इसका प्रचलन 'संस्था' नाम होगा।

2. जिन संस्थाओं के विलयन को ध्यान में रखते हुए संस्था का यह ज्ञापन-पत्र तैयार किया गया है उनके नाम हैं, (क) भारत के इलैक्ट्रॉनिक्स अनुसंधान तथा विकास केन्द्र (ई आर एण्ड डी सी आई) के केन्द्र जो कोलकाता, नोयडा, तिरुवनन्तपुरम स्थित हैं तथा मुख्यालय नई दिल्ली में है, (ख) सॉफ्टवेयर टेक्नॉलॉजी के लिए राष्ट्रीय केंद्र (एन सी एस टी) के मुंबई तथा बैंगलूर (इलैक्ट्रॉनिक्स सिटी) में स्थित केन्द्र और (ग) मोहाली में स्थित भारत का इलैक्ट्रॉनिक्स ड़िज़ाइन तथा तकनीकी केंद्र (सी ई डी टी आई) केंद्र। यह विलय 16 दिसम्बर 2002 से कार्यान्वित हुवा। इस प्रकार मार्च 1988 को पुणे में पंजीकृत सी-डैक के पंजीकरण के समय का ज्ञापन-पत्र, संस्थाओं के पंजियन अधिनियम 1860 की धारा 2 के अनुसार अधिक्रमण कर दिया जाएगा।

3. इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय पुणे विश्वविद्यालय, गणेशखिंड, पुणे 411007 के परिसर में स्थित होगा।

4. संस्था के उद्देश्य हैं:

4.1 इस संस्था के उद्देश्य हैं:

4.1.1 इलैक्ट्रॉनिक्स संप्रेशण तथा सूचना प्रौद्योगिकी (आई सी टी ई) तथा उनसे संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान तथा विकास की दृश्टि से अंतर्राश्ट्रीय ख्याति प्राप्त अग्रणी संस्था/ संगठन के रूप में स्थापित होना तथा अनुसंधान तथा विकास के इस परिवर्तन प्रतिमान को पथ-प्रदर्शक के रूप में प्रमाणित करना।

4.1.2 पूरे देश में आई सी टी ई के क्षेत्रों में, प्रतिस्पर्धी तथा उत्तम विशिष्ट तकनीकी ज्ञान व विशेषज्ञ प्रदान करने के लिए अनुसंधान तथा विकास संस्था के रूप में उभरना।

4.1.3 अनुसंधान तथा विकास के विविध क्षेत्रों की जिम्मेदारी लेना, एकीकृत तथा सहयोगपूर्ण ढंग से समयोचित तथा आगामी प्रभाव के लिए शक्तिशाली प्रभावकारिता के साथ अनुसंधान मर्म के चुनौतीपूर्ण दूरगम लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रति सक्रिय पहल करना। अनुसंधान कार्यक्रम आई सी टी ई के अभिसरण की झलक भी दिखा पाये।

4.1.4 विश्वव्यापी आई सी टी ई उद्योग में विकास के बारे में संपर्क स्थापित करना, उसकी खोज़ खबर रखना, मूल्यांकन करना तथा आर्थिक प्रतिस्पर्धा को बढा कर भारत की सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार सक्षम/ कारगर यथोचित तकनीकी प्रयोग की दिशा में कार्य करना।

4.1.5 अनुसंधान तथा विकास के लिए प्रेरक वातावरण निर्माण करना तथा उसका अनुरक्षण करना, स्थायी स्तर पर अभिनव परिवर्तन तथा बुध्दिजीवी संपत्ति/ वैषिशट्यपूर्ण उत्पादन, अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता स्तर तथा विधियाँ प्राप्त करना ताकि उसका उत्पादक तथा सार्थक प्रयोग सुनिष्चित किया जा सके।

4.1.6 भारत तथा विदेशों की आवष्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुसंधान तथा विकास परिणामों को ग्रहण करना तथा प्रभावकारी उपायों को अमल में लाना तथा उत्कर्श की खोज में रहना और व्यावसायिकता और प्रचुर मात्रा में उत्पादन की दृश्टि से श्रेष्ठता को बुलंदियों पर पहुँचाना।

4.1.7 रोजगार क्षमता बढ़ाने की दृश्टि से, विकास तथा उच्च मूल्य संर्वधन के लिए आई सी टी ई तथा संबंधित क्षेत्रों में, शिक्षा एवं प्रशिक्षण की स्थापना व संचालन द्वारा ऐसा संघटन हो जिसमें कुशल तथा सक्षम मानवोचित स्रोत हों और जिसमें स्नातकोत्तर तथा अनुसंधानोन्मुख प्रशिक्षण का समावेश हो।

4.2 उक्त निर्दिश्ट लक्ष्यों की प्राप्ति की दृश्टि से हो सकता है संस्था :

4.2.1 आई सी टी ई में, मूलभूत तथा अनुप्रयुक्त अनुसंधान, ड़िजाइन, समयोचित कलात्मक उत्पादन, समाधान तथा प्रणालियों के विकास तथा अभियांत्रिकीकरण की ऐसे चयनित, समय-सीमाबध्द तथा लक्ष्य-प्रेरक ढंग से जिम्मेवारी उठाये कि लागत, कार्य-निश्पादन तथा गुणवत्ता की आवष्यकता की दृश्टि से प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादन तथा प्रौद्योगिकियाँ प्रेरक साबित हों।

4.2.2 देश के आई सी टी ई क्षेत्र में, योजनाएँ प्रस्तुत करने, विशेष कार्यों को सुगम करने, कार्यक्रमों को बनाने, अनुसंधान तथा विकास की दृश्टि से प्रयत्न करे ताकि:

क. प्रौद्योगिकी सक्षमता प्राप्त हो तथा उसका अनुरक्षण हो।
ख. आत्म-निर्भरता तथा उत्कृष्टता का संवर्धन हो।
ग. योजनाबध्द क्षेत्रों में त्रुटियाँ कम हों।
घ. भारत तथा विदेशों में आई सी टी ई के क्षेत्र में विशेषज्ञों तथा व्यवसायों की बढोतरी उपलब्ध हो।

4.2.3 अपने आप या किसी देशी/ विदेशी एजेन्सी के साथ आई सी टी ई क्षेत्र में अनुसंधान कर विकसित तकनिकी का वाणिज्यिक बढावा देना, प्रोत्साहित करना, नोहाऊ प्राप्त कर प्रणाली चलाना जिससे उत्पाद बनाना, बडी संख्यामें उत्पाद निर्माण कर संस्थामें निर्मित उत्पादन/ सामाधान का मार्केटिंग / वितरण करना।

4.2.4 अभीश्ट ग्राहक की आवष्यकताओंनुसार अन्य एजेंसियों के उपलब्ध उत्पाद / प्रणाली का प्रयोग करते हुए एकीकृत प्रणाली बनाना या उसमें मूल्य बढावा करना।

4.2.5 राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोगात्मक अनुसंधान का अन्वेशण करे, निधि प्राप्त करे, उसका उत्तरदायित्व संभाले तथा यथोचित आई पी आर की साझेदारी के साथ कार्य करे।

4.2.6 आई सी टी ई के प्रणेताओं में काम करे तथा उससे संबंधित राष्ट्रीय आवष्यकताओं तथा वैष्विक परिप्रेक्ष्य में प्रौद्योगिकी की दृश्टि से कार्य करे।

4.2.7 प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाओं का भार संभाले तथा भारत तथा विदेश की अन्य संस्थाओं/ संगठनों/ निगमित निकायों से परामर्श सेवाएँ प्राप्त करने की जिम्मेवारी ले।

4.2.8 विभिन्न परियोजनाओं के अधीन लक्ष्यों तथा वितरणों की तुलना के उपरांत अन्य संस्थाओं/ संगठनों/ विश्वविद्यालयों/ निगमित निकायों को, उनके कार्य निष्पादन की क़डी मानीटरिंग के साथ, प्रतिस्थापित विकास के ठेके देने का प्रयत्न करे तथा परामर्श सेवाएँ प्रदान करे।

4.2.9 आई सी टी ई तथा संस्था के कार्यकलापों से संबंधित क्षेत्रों में, सलाह, परामर्श तथा भागीदारी के लिए भारत के भीतर तथा बाहर के अग्रगण्य विशेषज्ञों को आमंत्रित करे।

4.2.10 संस्था में विकसित प्रौद्योगिकियों को, जहाँ आवश्यक हो, भारत के भीतर तथा बाहर के इच्छुक व्यक्तियों को प्रचुर मात्रा में आर्थिक स्वार्थ-साधन प्राप्त करने के लिए हस्तांतरित करे।

4.2.11 संस्था द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों/ उत्पादनों के लिए संयुक्त साहसिक कार्यों, सहबंधों को प्रतिस्थापित करे और ऐसी यंत्रावलियों को प्रयुक्त करे, जिनके द्वारा बाजार से अधिक से अधिक लाभ उठाया जा सके तथा बा़जार विकसित किया जा सके।

4.2.12 प्रमाणनों, आरंभिक उत्पादन, साथ ही साथ संस्था के लक्ष्य-पूर्ति सीमा क्षेत्र में अभियांत्रिक कार्यप्रणाली परियोजनाओं, मार्केटिंग परीक्षणों, क्षेत्र-परीक्षणों को संपादित करे ।

4.2.13 विकास, निर्माण तथा सुगम्य संगणना प्रवेश को प्रेरित करते हुए, वैज्ञानिक, अभियांत्रिकी तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में संगणना करते हुए संगणनात्मक अभिरूपण तथा अनुसंधान को सुसाध्य बनाने में मदद करे तथा इच्छुक उपभोक्ताओं और अनुसंधानकर्ताओं को संगणन कार्य, डाटा स्टोरेज, नेटवर्किंग की सेवाएँ भी उपलब्ध करे।

4.3 आई सी टी ई के शिक्षा तथा प्रशिक्षण के क्षेत्र तथा संबंधित क्षेत्रों के पक्ष में, संस्था कर सके:

4.3.1 भारत के अंदर तथा बाहर आई सी टी ई के क्षेत्रों तथा संबंधित क्षेत्रों में शिक्षा तथा प्रशिक्षण पाठयक्रमों की रूपरेखा बनाये तथा उन्हें संचालित करे।

4.3.2 राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों/ संस्थानों से प्रगत उपाधि-पत्रों तथा पदवियों के लिए मार्गदर्शक स्नातकोत्तर प्रशिक्षण तथा निदेशित अनुसंधान का संचालन करे।

4.3.3 संस्था के हित-क्षेत्रों में, संस्था के उत्कृष्ट विद्यार्थियों और अनुसंधानकर्ताओं को संस्था वृत्तिका, छात्रवृत्ति, सहसंघ तथा शिक्षावृत्ति प्रदान करे।

4.3.4 संस्था के विशिष्ट हित-क्षेत्रों में राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, संकाय या वैज्ञानिकों के परिवर्तन/ आदान-प्रदान को संचालित या प्रेरित करे।

4.3.5 संस्था के विभिन्न अनुभागों के हित में, शैक्षणिक और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों, आधुनिक अभिसामयिक तथा दूर-शिक्षण कार्यक्रमों के लिए संस्था की रूपरेखा बनाये, उनका विकास करे और उन्हें प्रेरित करे।

4.4 निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए संस्था यह भी :

4.4.1 अनुसंधान तथा विकास निष्कर्शों/ विकासों/ निर्माणों/ संस्था कार्य संपादनों का प्रचार अभिसामयिक तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से करे, इसके साथ-साथ इन क्षेत्रों के महत्वपूर्ण विकासों के लिखित-प्रमाण को आयोजित करे।

4.4.2 भारत के भीतर तथा बाहर के कुछ स्थानों पर, केंद्रों/ प्रयोगशालाओं को स्थापित तथा प्रोत्साहित करे, आवश्यक आधारभूत संरचना सुविधाओं तथा अन्य अवलंब के साथ-साथ, संस्था के हित में परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए स्थानीय प्रतिभा का सदुपयोग करे, पी.ढी को प्रेरित करे तथा संस्थागत प्रतिभा संपत्ति अधिकारों की रक्षा करे।

4.4.3 भारत तथा भारत से बाहर उचित प्रौद्योगिकी तथा प्रयुक्ति-आधार की स्थापना करने के लिए प्रणालियों तथा उप प्रणालियों और सॉफ्टवेयर को विकसित करने में, अनुशंगी अनुसंधान केंद्रों को प्रोत्साहित करे और उनकी सहायता करे।

4.4.4 देश के अंदर या यु.एन को समाविश्ट कर विदेश से और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से, प्रचलित विधियों के अनुरूप, अनुदानों, उपहारों, ऋणों, अंशदानों, उपदानों या कोई अन्य वित्तीय योगदान, कोई अन्य संपत्ति, चाहे वह चल हो या अचल प्राप्त करे तथा/ या निवेश करे और संस्था के नियमों के अनुसार ऐसे निधि का सदुपयोग करे।

4.4.5 संस्था के उद्देष्य के लिए उचित कार्यप्रणाली द्वारा सेवा-निवृत्ति, भविश्य निर्वाह तथा अन्य निधियों को प्रतिस्थापित करे तथा उनका अनुरक्षण करे।

4.4.6 मार्केटिंग, व्यापार विकास, प्रौद्योगिकियों के व्यापारीकरण, उत्पादनों और समाधानों की जिम्मेवारी को निभाने में संस्था को तैयार करे।

4.4.7 देश के अंदर तथा विदेशी प्रवासी भारतीयों और अन्य सक्षम व्यक्तियों को संस्था की गतिविधियों में भाग लेने, परामर्श देने के लिए आकर्शित तथा प्रेरित करे।

4.4.8 संस्था तथा उसके विभिन्न कार्यों, जिनमें कर्मचारी-वर्ग, वित्त, खरीद, प्रशासन आदि से संबंधित मामले हों, के सुचारू कार्य-संचालन के लिए सुगम कार्यप्रणाली की व्यवस्था करे ।

4.4.9 सभी ऐसे विधिसंगत कार्य करे/ करवाये जो संस्था के प्रशासन के लिए प्रेरक तथा प्रासंगिक हों तथा निर्धारित लक्ष्य-प्राप्ति में सहायक सिध्द हों।

5. संस्था की सारी आय, अर्जन, चल-अचल संपत्ति केवल इस ज्ञापन-पत्र में निर्धारित सभी लक्ष्यों को प्रयुक्त तथा प्रोत्साहित करने के लिए ही होगी, उसमें से किसी भी भाग की अदायगी नहीं होगी या प्रत्यक्षतया या अप्रत्यक्षतया लाभांश, अधिलाभांश, लाभ के रूप में, या किसी अन्य रूप में संस्था के सदस्यों को, या सदस्यों द्वारा दावा करनेवाले किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों को हस्तांतरित नहीं होगी। संस्था की चल-अचल संपत्तियों के विरुध्द संस्था के किसी भी सदस्य का व्यक्तिगत दावा नहीं होगा और न ही सदस्यता के नाते कोई धन कमाना होगा।

6. संस्था, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार या सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित मंत्रालय/ विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक स्वायत्त वैज्ञानिक संस्था होगी। निगमित नीतियों को तैयार करने और आवष्यक मार्गनिर्देशन प्रस्तुत करने तथा संस्था द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के लिए कार्य करने के लिए संस्था की संरचना संस्थात्मक शासी परिषद के साथ एक शिखाग्र निकाय के रूप में होगी।

7. शासी परिषद को उन निदेशनों की जाँच करेगी जो प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा संस्था को जारी हो सकते हैं, उन निदेशनों को संस्था की लक्ष्य पूर्ति की ओर आगे बढाने में प्रेरक समझना होगा और उनके कार्यान्वयन के लिए दिशा-निर्देश निश्चीत करना होगा। केंद्रों समवेत संस्था के कार्यकलापों के संचालन की जिम्मेवारी इस परिषद की हो यह प्राधिकार निहित होगा। औचित्यपूर्ण ढंग से गठित समितियाँ, संस्था के वैज्ञानिकी/ तकनीकी/ प्रौद्योगिकी/ अकादमिक/ वित्तीय/ प्रशासनिक तथा नीति संबंधी मामलों में परिषद को सहायता प्रदान कर सकती हैं। प्रबंधन मंडल (Management Board) होगा जो, संस्था के मुख्य प्रबंधक को सहायता प्रदान करेगा ताकि परिषद के निर्णयों को कार्यान्वित कर सके।

8. परिषद को संस्था के कार्यकलापों का समय-समय पर पुनरीक्षण करना होगा तथा उसकी गतिविधियों को मानीटर करना होगा ताकि संस्था के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में, आवश्यक उपाय कर सके।

9. शासी परिषद संस्था के नियमों तथा विनियमों के अंतर्गत संस्थागत गठित एक निकाय होगी।

10. यह ज्ञापन-पत्र इन निम्नलिखित सदस्यों के नाम, पते, पदनाम का अनुसमर्थन करता है -

1.	श्री दयानिधि मारन सम्माननीय केंद्रिय मंत्री संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी के यूनियन मंत्री	अध्यक्ष
2.	श्री. के. के. जसवाल	उपाध्यक्ष

सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत सरकार

3- प्रो. वी. एस. राममूर्ति — सदस्य
सचिव, वैज्ञानिक तथा तकनिकी विभाग
भारत सरकार

4. डॉ. आर. ए. माशेलकर — सदस्य
सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक
अनुसंधान विभाग तथा महा निदेशक,
सी एस आई आर, भारत सरकार

5. श्री एस. लक्ष्मीनारायणन् — सदस्य
अवर सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत सरकार

6. डॉ .ए. के. चक्रवर्ती — सदस्य
दल-संयोजक तथा सलाहकार
(सूचना प्रौद्योगिकी में अनुसंधान तथा विकास)
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत सरकार

7. श्री. अजीर विद्या — सदस्य
संयुक्त सचिव तथा वित्तीय सलाहकार
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत सरकार

8. श्री. पंकज अग्रवाल — सदस्य
संयुक्त सचिव, (संस्थाएँ)
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
भारत सरकार

9. प्रो. एन बालकृश्णन् — सदस्य
अध्यक्ष सूचना विज्ञान प्रभाग
आई आई एस सी ,बैंगलूर

10. श्री. एफ. सी. कोहली — सदस्य
भूतपूर्व उपाध्यक्ष तथा

कार्यकारी समिति सदस्य
टाटा परामर्श सेवाएँ, मुंबई

11. सुश्री अरुणा सुंदरराजन् — सदस्य
सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
केरल सरकार

12. श्री. एस रामकृशणन् — सदस्य
महा निदेशक, सी-डैक

11. हम, कुछ व्यक्ति, जिनके नाम और पते नीचे दिये गए हैं, इस संस्था के ज्ञापन-पत्र में उल्लिखित उद्देष्य के लिए स्वयं को संबध्द करते हुए, एतदद्वारा इस संस्था के ज्ञापन-पत्र में अपने नामों को अनुमोदित करते हैं।

संस्था के नियमों तथा विनियमों की प्रतिलिपि, यह प्रमाणित करने के लिए कि संस्था के विद्यमान शासी परिषद के सदस्यों की सही प्रतिलिपि है, संस्थाओं के पंजायक कार्यालय, पुणे में इसके द्वारा दा़खिल की जाती है।

क्र.	**नाम**	**हस्ताक्षर**
1.	श्री दयानिधि मारन	------
2.	श्री के. के. जसवाल	-----
3.	प्रो. वी. एस. राममूर्ति	-----
4.	डॉ. आर ए माशेलकर	-----
5.	श्री. एस लक्ष्मीनारायणन्	-----
6.	डॉ .ए. के. चक्रवर्ती	------
7.	श्री अजीर विद्या	------
8.	श्री पंकज अग्रवाल	-----
9.	प्रो. एन. बालकृश्णन्	-----
10.	डॉ. एफ. सी. कोहली	-----
11.	सुश्री अरुणा सुंदरराजन	-----
12.	श्री एस रामकृशणन्	------

मैं उपरोक्त हस्ताक्षरों को प्रमाणित करता हूँ ।

राजपत्रित अधिकारी